**To Improve the 10 H.P. Connections**

**\*100 Sh. SOMBIR (Dadri) :**

 Will the Energy Minister be pleased to state:-

1. whether it is a fact that the 10 H.P. connections for tubewells are not completely successful; and
2. if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the load of connection from 10 HP togetherwith the details thereof?

**RANJIT SINGH, ENERGY MINISTER**

a) & b) Sir, the capacity of a motor depends upon the ground water level. Pursuant to the announcement contained in para 173 of the Budget speech 2023-24, Sales Circular No. D-17/2023 was issued on 30.05.2023 for release of new tubewell connections to the applicants, who had applied during the period 01.01.2019 to 31.12.2021. As per provisions of ibid circular, tubewell connections upto 10 BHP were to be released by HAREDA department on solar off grid mode and the tubewell applicants / farmers above 10 BHP to 35 BHP were eligible for release of new tubewell connections by DISCOMs. Keeping in view the difficulties being faced by some applicants, a new Sales Circular No. D-36/2023 has been issued on 09.11.2023, wherein in the villages, where ground water level is beyond 40 meter, the applicants have an option to apply for extension of applied motor load more than 10 BHP and their applications will be considered for Grid connection by the Nigam.

1. **एच.पी. कनैक्शनों** **को सुधारना**

**\*100 श्री सोमबीर (दादरी):**

क्‍या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

1. क्‍या यह तथ्य है कि टयूबवैलों के लिए 10 एच.पी. के कनैक्शन **पूरी तरह सफल नहीं है; तथा**
2. यदि हां, तो कनैक्शनों का लोड 10 एच.पी से बढ़ाने का कोई प्रस्‍ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्‍यौरा क्‍या है?

**रणजीत सिंह, ऊर्जा मंत्री**

 क और ख) श्रीमान जी, मोटर की क्षमता भूजल स्तर पर निर्भर करती है। बजट भाषण 2023-24 के अनुच्छेद 173 में निहित घोषणा के अनुसरण में, उन आवेदकों को नए नलकूप कनेक्शन जारी करने के लिए 30.05.2023 के सेल्ज परिपत्र संख्या डी-17/2023 जारी किया गया था, जिन्होंने 01.01.2019 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान आवेदन किया था। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, 10 बी.एच.पी. तक के नलकूप कनेक्शन हरेडा विभाग द्वारा सोलर ऑफ ग्रिड मोड पर जारी किए जाने थे और 10 बी.एच.पी. से 35 बी.एच.पी. तक के नलकूप आवेदक/ किसान डिस्कॉम द्वारा नए नलकूप कनेक्शन जारी करने के लिए पात्र थे ।  कुछ आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 09.11.2023 को एक नया सेल्ज परिपत्र संख्या डी-36/2023 जारी किया गया, जिसमें उन गांवों में, जहां भूजल स्तर 40 मीटर से ज्यादा है, वहां आवेदकों के पास 10 बी.एच.पी. से ज्यादा लागू मोटर लोड के विस्तार के लिए आवेदन करने का विकल्प है और निगम द्वारा उनके आवेदनों पर ग्रिड कनेक्शन के लिए विचार किया जाएगा।